Order Sheet [Contd] Case No 404/17 बी०ए

Case No 404 <u>/ 17</u> बा०ए		
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
23.11.2017	आवेदक धनन्जय पाण्डे द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।	
	फरियादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। अधीनस्थ न्यायालय से प्र०क० ५४०/१७ शा०पु. मालनपुर वि० धनन्जय पाण्डे आदि प्राप्त।	
Á	आवेदक धनन्जय पाण्डे के आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं के साथ आवेदक के पिता श्री शैलेश पाण्डे के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।	
62/13	आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक धनन्जय पाण्डे का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रस. का है। प्रकरण में अन्य कोई आवेदक इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या	
	माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा अभिलेख से भी स्पष्ट है। आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।	(A)
	आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में व्यक्त किया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठा अपराध कायम कराया है।	(A)
	आवेदक को दिनांक 23.08.2017 को गिरफ्तार कर लिया है। आवेदक कर्मचारी है, उसने कोई घटना कारित नहीं की है, वह काफी समय से जेल में है। प्रार्थी के अलावा उसके घर में कोई कमानेवाला व्यक्ति नहीं	
	है। आवेदक के उपर ऐसा कोई अपराध नहीं है जो मृत्युदण्ड आजीवन कारावास की सजा से दण्डनीय हो। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।	
	राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदक निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। आपत्तिकर्ता चतुरसिंह कंग की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता	
	अधिवक्ता द्वारा लिखित आपित्ति पेश कर निवेदन किया है कि आवेदकद्वारा असत्य आधारों पर जमानत आवेदन पेश किया गया है, जबिक आवेदक के द्वारा सहआरोपी राकेश पाण्डे के साथ मिलकर फरियादी के साथ	
	धोकाधडी कर छल किया है। सहआरोपी राकेश की जमानत खारिज की गई है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया है।	
	וא וויידו	

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 20.06.2017 एवं उसके पश्चात दिनांक 04.07.2017 को एवं 10. 07.2017 को फरियादी चतुर सिंह को 187 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से पौधा लगाये जाने के लिए प्रवंचित करते हुए फरियादी अभियुक्त राकेश पाण्डे एवं धनंजय के द्वारा क्रमशः 5 हजार रुपए का चैक एवं 313150 रुपए का चैक प्राप्त कर उसका भुगतान प्राप्त किया परंतु पौधे नहीं लगाये। इस प्रकार आवेदक धनन्जय पाण्डे के द्वारा सहअभियुक्त राकेश पाण्डे के साथ मिलकर फरियादी चत्र सिंह के साथ छल किया गया।

यद्यपि अविदक धनन्जय पाण्डे दिनांक 23.08.17 से लगभग तीन माह से निरोध में है, परंतु छल की जाने वाली राशि लगभग 3,18,150 रुपए हैं। अतः प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा सहअभियुक्त राकेश पाण्डे के साथ मिलकर अन्य लोगों के साथ भी छल किया गया है। जिसके संबंध में उसके विरुद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध में प्रकरण एवं उसके स्वरूप तथा आवेदक के विरूद्ध आक्षेपों को देखते हुए आवेदक धनन्जय पाण्डे को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

WILHOUT PRESIDENT TO THE PROPERTY OF THE PROPE आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख बापस किया जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।